न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– सचिन यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 05/24 दायर दिनांक: 14.06.2024

जीसीएमएस नं. 2024/137

मनोज कुमारी पुत्री केहरी सिंह पत्नि विजयपाल सिंह जाति जाट नि. छौंकरवाडा कलाँ, तह. भुसावर जिला भरतपुर हाल नि. साबोरा जिला डीग राज.

—अपीलाण्ट

बनाम

1.ग्रा.पं. छौंकरवाडा कलाँ जरिये सरपंच ग्रा.पं. छौंकरवाडा कलाँ पं.स. भुसावर जिला भरतपुर राज.

2.गम्भीर सिंह पुत्र केहरी, 3.वैकुण्ठी पत्नि केहरी, 4.रेखा पत्नि भरतसिंह, 5.राजवती पुत्री केहरी, 6.लक्ष्मी पुत्री केहरी जातियान जाट नि. छौंकरवाडा कलाँ तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 विरूद्ध
नामा. सं. 502/2024
ग्रा.पं. छौंकरवाडा कलाँ पं.स. भुसावर

अधिवक्ता– 1.श्री चन्द्रशेखर तिवारी —अपीलाण्ट
2.श्री नवीन कुमार पाण्डेय —रेस्पो.

निर्णय दिनांक 18.07.2024

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 विरूद्ध नामा. सं. 502/2024 ग्रा.पं. छौंकरवाडा कलाँ, पं.स. भुसावर पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या 148 ख.नं. 1782 रकबा 0.06, 2284 रकबा 0.06, 2483 रकबा 0.24, 2830 रकबा 0.24 हैक्टे. व आराजी खाता संख्या 297 ख.नं. 2102 रकबा 0.07 हैक्टे. आराजी खाता संख्या 298 ख.नं. 2817 रकबा 0.01, 2818 रकबा 0.17 हैक्टे. वाके ग्राम छौंकरवाडा कलाँ तह. भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है। जिसमें खाता संख्या 148 में अपीलान्ट 1/6 हिस्से की व खाता संख्या 297 में 1/288 हिस्से की व खाता संख्या 298 में 1/48 हिस्से की खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है।

ग्रा.पं. छौंकरवाडा कलाँ द्वारा अपीलान्ट के पिता केहरी की मृत्यु के बाद विरासत का नामा. दर्ज किया था। जिसमें अपीलान्ट का नाम मनोज कुमारी पुत्री केहरी सिंह के स्थान पर मनोज पुत्र केहरी गलत नाम दर्ज कर दिया है, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा निम्न आधारों पर अपील श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है–

(अ) ग्रा.पं. छौंकरवाडा कलां द्वारा एक तरफा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना गलत व विधि विरूद्ध नामा. दर्ज करते हुए अपीलान्ट का नाम मनोज कुमारी पुत्री केहरी सिंह के स्थान पर मनोज पुत्र केहरी गलत दर्ज कर दिया है उक्त आक्षेपित नामा. की नकल अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

(ब) भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड में अपीलान्ट का नाम मनोज कुमारी दर्ज है जो अपीलान्ट का वास्तविक नाम है, इसके बावजूद भी रेस्पो. संख्या 01 ने उक्त तथ्यों पर गौर न करते हुए विधि विरूद्ध आक्षेपित नामा. दर्ज कर अपीलान्ट का नाम मनोज पुत्र केहरी दर्ज कर दिया है। उक्त नामा. के अस्तित्व में बने रहने से अपीलान्ट अपनी उक्त आराजी का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग, उपभोग नहीं कर पा रही है तथा

सभी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आक्षेपित नामा. निरस्त किये जाने योग्य है।

(स) अपीलान्ट की अन्य आराजी ग्राम आमोली तह. वैर में स्थित है। जिसके खाता संख्या 65 में अपीलान्ट का सही नाम मनोज कुमारी पुत्र केहरी सिंह दर्ज है। लेकिन ग्रा.पं. छौंकरवाडा कलां द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर न करते हुए विधि विरूद्ध आक्षेपित नामा. दर्ज किया है।

(द) दिनांक 21.05.2024 को आक्षेपित नामा. की नकल लेने के बाद अप्रार्थी संख्या 01 से गलत नाम के स्थान पर अपीलान्ट ने सही नाम मनोज कुमारी पुत्री केहरी सिंह दर्ज करने के लिए कहा तो उन्होंने उक्त आक्षेपित नामा. सही करने से मना कर दिया। इसलिए उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा विहित समय के अन्दर न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष पेश की जा रही है जो अन्दर अवधि पेश है।

अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त किया जावें।

हमने अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में रेस्पो. संख्या 1 लगायत 6 की ओर से श्री नवीन कुमार पाण्डेय एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा जवाब रेस्पो. संख्या 01 द्वारा पेश किया गया तथा रेस्पो. संख्या 2 लगायत 6 द्वारा अपील के संबंध में कोई ऐतराज नहीं किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की गई प्रस्तुत अपील एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा जवाब रेस्पो. संख्या 01 का अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जावें। नामा. संख्या 502 दिनांक 26.04.2024 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि अपीलान्ट का नाम मनोज पुत्र केहरी के स्थान पर मनोज कुमारी पुत्री केहरी सिंह जाति जाट नि. छौंकरवाडा कलाँ राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)